

14

81

रजिस्ट्री सं. डी. (डो. एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 1989/आषाढ 12, 1911
No. 398] NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 1989/ASADHA 12, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1989

का. आ. 517 (अ):—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 239 की धारा (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निदेश देते हैं कि दमन और दीव संघ राज्य
क्षेत्र के प्रशासक के नाम में दिए गए तथा निष्पादित किए गए सभी आदेश और अन्य लिखित
आदेश दमन और दीव प्रशासन के सहायक सचिव के हस्ताक्षरों से भी अधिप्रमाणित किए

जाएंगे तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 647 (ई) दिनांक 29 जून, 1987 में जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खण्ड-3 उपखंड (ii) दिनांक 29 जून, 1987 के पृष्ठ 2 पर प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "अवर सचिव (यू. टी. सैल)" शब्द तथा कोष्ठक को "सहायक सचिव" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[संख्या यू-11030/3/87-यू. टी. एल.]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 1989

S.O. 517 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that all orders and other instruments made and executed in the name of the Administrator of the Union Territory of Daman and Diu shall also be authenticated by the signature of the Assistant Secretary of the Daman and Diu Administration and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 647 (E), dated the 29th June, 1987 published at page 2 of Part II Section 3 sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated the 29th June, 1987, namely:—

In the said notification, for the words and brackets "Under Secretary (U. T. Cell)", the words "Assistant Secretary" shall be substituted.

[No. U-11030/3/87-UTL]

ASHOK NATH, Jt. Secy.